भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-384
सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगारी दर

384. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है;
(ख) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण अनुसार देश में बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सर्वाधिक है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(घ) इस मुद्दे को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 6.1% थी। विगत 45 वर्षों की बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

1972-73 से 2017-18 तक सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (% में)

सर्वेक्षण वर्ष	*ग्रामीण*		*शहरी*	
	पुरूष	*महिला*	*पुरूष*	*महिला*
2017-18 (पीएलएफएस)*	*5.8*	*3.8*	*7.1*	*10.8*
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	*1.7*	*1.7*	*3.0*	*5.2*
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	*1.6*	*1.6*	*2.8*	*5.7*
2004-05 (एनएसएस 61वां दौर)	*1.6*	*1.8*	*3.8*	*6.9*
1999-00 (एनएसएस 55वां दौर)	*1.7*	*1.0*	*4.5*	*5.7*
1993-94 (एनएसएस 50वां दौर)	*1.4*	*0.9*	*4.1*	*6.1*
1987-88 (एनएसएस 43वां दौर)	*1.8*	*2.4*	*5.2*	*6.2*
1983 (एनएसएस 38वां दौर)	*1.4*	*0.7*	*5.1*	*4.9*
1977-78 (एनएसएस 32वां दौर)	*1.3*	*2.0*	*5.4*	*12.4*
1972-73 (एनएसएस 27वां दौर)	*1.2*	*0.5*	*4.8*	*6.0*

*(टिप्पणीः *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

सरकार ने रोजगार का सृजन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने तथा उनकी रोजगार आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगा।

*****